

सेवा में,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय

चित्तौड़गढ़(राज.)

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम संशोधन के संबंध में।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1958 की धारा 136

अनुमान श्री शशुत कौर पिता/पति श्री शोला

पत्नी

राज्य सरकार जरिये सहस्रीलदार बस्ती

महोदयजी,

उपरोक्त विषय एवं अनुमान में निवेदन है कि मैं/हम प्रार्थी श्री शशुत कौर पिता/पति शोला
निवासी साजगढ़ का/की हुं/हैं।

मेरे हमारे पटवार हल्का साजगढ़ के राजस्व ग्राम साजगढ़ में खाता संख्या 46
किता 4 रकबा 1.53 ई. भूमि दर्ज रेकार्ड है जिसमें मेरी/हमारी जाति/नाम चमार दर्ज है
जिसको मैं/हम सम्मानजनक रूप में चाटिया दर्ज करवाना चाहती हुं/चाहता हूँ।

अतः मेरी/हमारी जाति/नाम चमार के बजाय चाटिया दर्ज करवाने की कृपा

करावे।

दिनांक / / 2025

हरताबार

प्रार्थी व अन्य

शशुत

रिपोर्ट पटवारी हल्का साजगढ़

महोदयजी,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री शशुत कौर पिता/पति शोला निवासी

साजगढ़ ग्राम साजगढ़ पटवार हल्का साजगढ़ की जमाबन्दी
प्रार्थी/प्रार्थीयान सम्मानजनक जाति/नाम के रूप में चाटिया दर्ज करवाना चाहता हूँ/चाहते हैं। दोनों
जातियाँ एक ही श्रेणी की हैं/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। हम इनकी पहचान एवं हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। अतः
संशोधन किया जाना उचित है।

हस्ताक्षर पटवारी

26-09-25
हरताबार भू.अ.नि. साजगढ़

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.) बरसी जिला चित्तौडगढ(राज.)

क्रमांक:-भू.अ./2025/

दिनांक:- / /2025

प्रेषिति,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
चित्तौडगढ

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री शश्वत वर्मा पिता/पति शैला निवासी राजपुरा पटवार हल्का राजपुरा के राजस्व आता राजपुरा में जमावन्दी संवत् 2073-81 की खाता संख्या 48 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. ने सम्मानजनक जाति/नाम राजपुरा किये जाने की रिपोर्ट की है। सम्मानजनक जाति/नाम राजपुरा का अंगन राजस्व रिकार्ड में किया जाना उचित है। दोनों जातियाँ/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकान अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है अतः जाति/नाम में संशोधन किया जाना उचित है।

(Handwritten Signature)
तहसीलदार (भू.अ.)
जिला चित्तौडगढ (राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ(राज.)

क्रमांक:-रीडर/2025/ 709

दिनांक:- / /2025

निमित्त,

उ.अ.
379/2025
26.9.25

पटवार हल्का राजपुरा

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने कायदा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1959 की धारा 100

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री शश्वत वर्मा पिता/पति शैला राजपुरा ग्राम राजपुरा पटवार हल्का राजपुरा की खाता संख्या 48 में जाति/नाम राजपुरा दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जाँच व पटवारी पटवार हल्का व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार बरसी द्वारा भी जाति/नाम सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री शश्वत वर्मा पिता शैला की जाति/नाम राजपुरा एल.आर. एक्ट 1959 की धारा 100 के तहत संशोधन दर्ज करने की स्वीकृति एतद् द्वारा दी जाती है। पटवार हल्का... राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल पूरी पावना भेज करे।

प्रतिलिपि:- तहसीलदार बरसी भालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ
(Handwritten Signature)
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ